



**प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा I), केरल, तिरुवनंतपुरम**  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),**  
**KERALA, THIRUVANANTHAPURAM**



सं. ले प /प्रशा. III/एन एफयू /खंड.II

No.Au/Admn.III/NFU/Vol.II

दिनांक /Dated: 05.09.2024

**अनुभागीय आदेश सं. 185 /SECTIONAL ORDER No. 185**

संवर्ग में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सहा.ले.प.अ. को स्वीकार्य वेतन स्तर 9 में गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू), श्री केनबोम रीना को 19.08.2024 से प्रदान किया गया है।

सीसीएस संशोधित वेतन नियम, 2016 के नियम 13 के अनुसार स्वीकार्य वेतन निर्धारण का लाभ गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते समय उपलब्ध होगा। यदि वे एफआर 22(आई)(ए)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

Non-Functional Upgradation (NFU) to Pay Level 9, admissible to AAOs on completion of four years of regular service in the cadre has been granted to **Shri.Kenbom Rina** with effect from **19.08.2024**.

The benefit of pay fixation admissible as per Rule 13 of CCS Revised Pay Rules, 2016 shall be available at the time of grant of Non-Functional Upgradation. If he intends to exercise option under FR 22(I)(a)(1), he should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

(म.ले. के दिनांक 04.09.2024 के आदेशानुसार)

(Vide orders dated 04.09.2024 of AG)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)

Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि /Copy to:-

1. अनु.आ.पुस्तिका/S.O.Book
2. श्री केनबोम रीना, सहा.ले.प.अ./Shri.Kenbom Rina, AAO
3. वारि. ले प अ / का. स्था., शाखा कार्यालय, कोच्ची /Sr.AO/OE, Br.Office, Kochi
4. गो. कक्ष/आईए अनुभाग /हिन्दी कक्ष-लेखापरीक्षा-I/C.Cell/IA Section/Hindi Cell- Audit-I
5. पिएओ I, II एवं III/ PAO I, II & III
6. सूचना पट्ट /Notice Board
7. व्यक्तिगत फाइल/ Personal File